



मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए)279/2010/ए-1/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2 / 1 / 2019

✓ पुलिस अधीक्षक
जिला-इन्दौर
(म0प्र0)


विषय:- निवासवृद्धि पाक नागरिको श्री विजय कुमार पुत्र श्री चंदरलाल 2. श्रीमती बरखा कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार निवासी जिला इंदौर।

संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्रमांक जिविशा/इन्दौर/पाक 2018(2154/2018,) दि.15.10.2018

--00--

पाक नागरिको श्री विजय कुमार पुत्र श्री चंदरलाल 2. श्रीमती बरखा कुमारी पत्नी श्री विजय कुमार को दि.18.05.2010 से 18.05.2011 तक एवं दिनांक 18.05.2011 से 18.05.2013 तक व दिनांक 18.05.2013 से 18.05.2018 तक व दिनांक 18.05.2015 से 18.05.2020 तक अच्छे व्यवहार के आधार पर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3/ उपरोक्तानुसार ही उनका आर.पी.पृष्ठांकित किया जाकर चेक पोस्ट को सूचना दी जाय। अगली अवधि के आवेदन पत्र भेजते समय राज्य शासन के इसी संदर्भ का उल्लेख करें।


(श्रीदास)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग
भोपाल, दिनांक / / 2019

क्रमांक एफ-3(ए)279/2010/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा गुप्तवार्ता(बी) म.प्र. भोपाल, के पत्र क्रमांक विशा/20/पाक/2016-20(827,764,768,753,765,767,841,3154)दि.29.06.2016,13.06.2016,01.07.2016,24.11.2015 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 आवेदक श्री विजय कुमार पुत्र श्री चंदरलाल निवासी 153 आर्दश ग्राम बी 302 ओरेंज काउटी जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
म0प्र0शासन गृह (पारपत्र)विभाग

क्रमांक एफ-3(ए)279
प्रति
जिला इन्दौर
दि. 15.10.2018